BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | September 2018 | No. 8

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ चैम्बर में बैठक आयोजित

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, जीएसटी के आयुक्त श्री रंजीत कुमार। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 6 सितम्बर, 2018 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) पर एक बैठक का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया जिसमें जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार ने राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को जीएसटीएन की अद्यतन प्रावधानों से अवगत कराया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को जीएसटी लागू होने के पूर्व से एवं लागू होने के बाद भी व्यवसायियों द्वारा अनुभव किए जा रहे समस्याओं से अवगत कराने हेतु कई एक बैठकें, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है जो अभी भी जारी है जिससे कि दैनिक व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में व्यवसायियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उसी कड़ी में आज की भी यह बैठक आयोजित है।

चैम्बर की ओर से जीएसटीएन से संबंधित एक ज्ञापन जीएसटी सब कमिटी

कार्यक्रम को संबोधित करते जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार। उनकी बाँयीं ओर सीजीएसटी के आयुक्त श्री रंजीत कुमार। दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

8 अगस्त, 2018 को टाईम्स ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु राज्य के बारे में एक समाचार प्रकाशित किया था जिसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। वह समाचार था– प्रदेश हित में दो विरोधी दलों का किसी सवाल पर एकमत हो जाने का। तमिलनाडु प्रदेश में औद्योगिकरण के सवाल पर M. Karunanidhi एवं J. Jayalalithaa का जो परस्पर विरोधी विचार रखते थे परन्तु प्रदेश हित में लिये गये इस निर्णय ने प्रदेश के उद्योग–व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की और तमिलनाडु देश का दूसरा धनी प्रदेश बन गया। विस्तृत समाचार इसी पत्रिका में आपकी जानकारी हेतु अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है।

काश, हमारे प्रदेश बिहार में भी सभी दल मिलकर प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार के उन्नयन हेतु आपसी विरोध भूला कर, आपस में हाथ मिला लेते।

पेट्रोल–डीजल के मूल्यों में वृद्धि से आम जीवन सहित उद्योग एवं व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में नहीं लाया गया है। जब तक इसे GST के दायरे में नहीं लाया जाता है तब तक राज्य सरकार को टैक्स में कमी करके आम जनता को राहत दिलानी चाहिए।

दिनांक 6 सितम्बर, 2018 को चैम्बर प्रांगण में GSTN के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री प्रकाश कुमार के साथ एक बैठक हुई। उक्त बैठक में CGST के आयुक्त श्री रंजीत कुमार एवं SGST के संयुक्त आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा, श्री मार्कंडेय ओझा एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। चैम्बर की ओर से उन्हें ज्ञापन समर्पित किया गया।

इस माह चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सम्मिलित थे।

दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को चैम्बर द्वारा GeM (Government e-Marketplace) पर पंजीयन हेतु शिविर एवं एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में GeM के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री निर्मल कुमार एवं संयुक्त सचिव श्री उदयन मिश्रा ने GeM के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। चैम्बर की ओर से GeM Portal में आने वाली समस्याओं पर GeM के पदाधिकारियों को ज्ञापन भी समर्पित किया गया।

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को मेरे नेतृत्व में चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल राज्य–कर आयुक्त सह सचिव डॉ0 प्रतिमा से मिला। बैठक में वैट/जीएसटी के रिइम्बर्समेंट से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हुआ।

दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को चैम्बर प्रांगण में चैम्बर एवं श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भारत सरकार के National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। उक्त कार्यशाला में श्रम संसाधन के निदेशक, नियोजन श्री धर्मेन्द्र सिंह ने अपनी टीम के साथ NAPS के विषय में पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।

दिनांक 21.9.2018 को डॉ0 हंसमुख अधिया, वित्त सचिव, भारत सरकार एवं श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ व्यावसायिक संगठनों की GST पर एक परिचर्चा होटल मौर्या में आयोजित हुई। इस परिचर्चा में मैं, चैम्बर पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण शामिल हुए। परिचर्चा में चैम्बर की तरफ से अधिया जी को ज्ञापन भी समर्पित किया गया।

पुनः इसी माह चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री जी0 एस0 कंग, भा0प्र0से0 से मिला एवं राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर विचार–विमर्श किया।

चैम्बर की बैठकों में चैम्बर सदस्यों की भागीदारी हेतु मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

दुर्गापूजा की हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आपका
पी0 के0 अग्रवाल

जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

सीजीएसटी के आयुक्त श्री रंजीत कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर। साथ में जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार

के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार ने प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिन्दु निम्नांकित है :-

• जीएसटीएन पोर्टल के स्पीड और कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए • रिटर्न फाइल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए • ऑन-लाईन निबंधन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए • ऑन-लाईन भुगतान के समय में आने वाली समस्याओं को दूर किया जाए एवं • ई-वे बिल के तहत मल्टी व्हीकल का ऑपशन देने के संबंध में।

बैठक में जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जीएसटीएन के अद्यतन आंकड़ों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जीएसटी सिस्टम में 52% ऐसे कारोबारी हैं जो अपना टर्नओभर 20 लाख से भी कम दिखा रहे हैं। वैट सिस्टम में ऐसे व्यवसायियों का आंकड़ा 60% तक था। यह काफी हैरान करने वाली स्थिति है और वास्तविकता से दूर है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी, ई-वे बिल जेनरेट करने में काफी आगे है। इसके अतिरिक्त जीएसटीएन के पास सारे आंकड़े हैं जो कई अविश्वसनीय चीजों को सामने ला रहे हैं। अभी और अधिक सतर्कता और

जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रकाश कुमार को चैम्बर का मेमोंटो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में सीजीएसटी के आयुक्त श्री रंजीत कुमार।

जागरूकता से काम करने की आवश्यकता है। रिटर्न फाइल करने में सावधानी एवं समय का ध्यान रखना जरूरी है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने में आ रही समस्याओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर दिया जायेगा। तकनीकी समस्याएं कारोबारियों द्वारा अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने की वजह से हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि जीएसटीआर-1 भरने के बाद कम्प्यूटर हर बिन्दु को चेक करता है, इसलिए समय लगता है, परन्तु कारोबारियों को लगता है कि हमने फार्म भरा, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है।

श्री प्रकाश ने बताया कि अंतिम समय का इंतजार नहीं करें, बल्कि तय समय से पूर्व रिटर्न फाइल करें तो असुविधा नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रिटर्न फाइल करने को लेकर कुछ नया प्रावधान लागू होगा, इसका लाभ व्यवसायियों को मिलेगा। श्री प्रकाश ने बताया कि रिफण्ड जमा करने के लिए NEFT एवं RTGS सबसे अच्छा माध्यम है ।

बैठक में सीजीएसटी के आयुक्त श्री रंजीत कुमार, एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा एवं श्री मार्कण्डे ओझा के साथ कई वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, चैम्बर के जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी, सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार, वरीय सदस्य श्री राजेश खेतान, श्री सुनिल सराफ, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री एस० के० पटवारी, श्री राजीव अग्रवाल, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सावल राम डूोलिया, श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल के साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया।

BCCI SUBMITTED THE MEMORANDUM TO CEO OF GSTN

It is really praiseworthy that with tireless effort of all concerned, GST portal has almost overcome the initial technical glitches. But even now, there are some practical difficulties in smooth operation to complete any task in minimum possible time, **which are being placed herein for kind consideration**.

GSTN PORTAL

1. Speed & efficiency

The speed of the server is quite slow causing abnormal long time in data updation, which may range from 15 minutes to 24 hours even, whereas it should be updated on real time basis.

It's a very major problems being faced by the taxpayers because it leads to make confusion about the accuracy of the data's entered and one unnecessarily verify the same causing wastage of time & energy as well.

RETURN

1. Data entry in GSTR-1

There are two modes – Online & Offline to enter datas in outward supply statement GSTR-1. In order to make entry through offline mode, the offline utility has been provided. But, while making entry through online mode, there is limitation of maximum 500, which should not be there.

GSTN supports only JSON files for uploading, which do not be readable in text form and making conversion of these files in readable CSV format is also a cumbersome task and not at all user friendly. It is suggested to consider to accept datas through CSV files.

2. Viewing uploaded datas

It has been observed that GSTR-1 data's uploaded on portal do not appear in any specific order / sequence causing a lot of difficulties either in viewing the uploaded data's or to verify/reconcile the same. Even in any single GSTIN, the datas should appear in the order of Invoice No. wise.

Firstly, the uploaded data's should appear on the portal in specific order and secondly there is need to have filter option to view the uploaded datas as per choice of the taxpayers i.e. GSTIN wise, Invoice No. wise / Invoice Datewise / GSTIN wise / Trade Name wise etc. It would ease the task to the great extent.

One more thing, presently, while making entry through online mode, the datas are entered on the basis of GSTIN and then the Trade Name auto captured by the system. But, in view window, only GSTIN appear and not the Trade Name, which should be added there.

3. Viewing data's in GSTR-2A

Recently, it has been facilitated to download GSTR-2A datas in XL format. But, while viewing the datas on portal, there comes the same situation as in GSTR-1. The filter option should also be there to view datas on portal, as needed in GSTR-1

4. Filling up of GSTR-3B

The amount of applicable interest on account of delay in payment normally vary for the different three heads of tax but while filling up the interest figure in any head, it automatically capture in another head, which need to be rectified.

5. Filed Return (with complete details) in PDF Format

The copy of all filed returns namely GSTR-3B & GSTR-1 should be made available in PDF format so as to keep the same in records.

6. Acknowledgement of Filed Return/s

Though, email & SMS is sent after successful filing of return but there must be an acknowledgement of return in PDF format.

7. Summary of Filed returns

There should be a summary window of all the returns filed by the taxpayers, which may be viewed on the basis of date of filing of return / different return wise / period wise.

8. Option to choose monthly / Quarterly

In the beginning of every new financial year, the taxpayers having turnover up to 1.5 Cr are asked to opt between monthly or quarterly filing of returns. It has been noticed that option to switch from quarterly to monthly filing is available but not vice versa i.e. from monthly to quarterly. It is suggested that unless the taxpayers do not exercise the option and file any return, it should be free to make change in option in both direction.

9. Viewing of Ledger

The ledger can be viewed for a maximum of six months period at one point of time but it takes No. of days rather No. of months

and so one can view ledger for the period 1st July to 30th Dec not up to 31st. At least one financial year datas should be viewed in one sort.

REGISTRATION

1. Jurisdiction Area

While applying for a new GST registration, either the system should capture the jurisdiction area of the applicant automatically on the basis of the principal place of business of the applicant or else there must be a help window to find out the same so that the correct information is filled in.

Change in principal place of business

In case of any change in principal place of business, the amendment should be processed within 3 days of apply but its take 15 days at present.

2. Change in e-mail id / Mobile No.

In case of change in e-mail id / mobile no; single change should be made by sending OTP on another detail like change in mobile on email id and similarly for change in e-mail id on mobile. Alternatively, in case of change in both, DSC of the authorized signatory should be accepted.

3. Date of Liability

It has been observed that GST registration becomes effective from the date of issuance of certificates whereas it should be effective from the date of liability.

Due to the reason stated above if the date of liability and date of certificate falls in different months, the taxpayers are unable to file their returns and to pay their liability of the respective month.

It is suggested to look into the matter and do the needful.

PAYMENT

1. Updation of payment

It has been observed that the payment made after 6 PM is mostly updated very late and sometimes next day. It should be on real time basis. **Secondly**, it is suggested not to make payment after 8PM, while it should be up to last hour of the date.

Payment through debit card and credit card should be enabled as per provision.

2. Inter change Heads of Tax Paid

The payment made in different A/c namely IGST / CGST / SGST must be inter changed as per need of the taxpayers.

Similarly, the amount lying in head of tax / fees / intrest in any particular a/c must also be inter shifted.

There may be difficulties in making change in inter shifting into different a/c but inter shifting into different head of one a/c seems possible without much pain.

EWAY BILL

1. Multi Vehicle option in E-way Bill

In present format of E-way bill, at one point of time, only single vehicle no. could be assigned for a specific e-way bill, which causes a lot of difficulties especially in case of import of goods. The reason being that if one e-way bill is issued for one single import consignment, which normally are large in volume, is usually transported through more than one vehicle and further the total goods crosses out of port on different dates, it creates a lot of difficulties to make transportation of these goods. So, there is need to have multy vehicle option in single e-way bill.

चैम्बर द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बैठक एवं कैम्प का आयोजन

बैठक को संबोधित करते जेम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री निर्मल कुमार (बाँये से चौथे)। उनकी बाँयीं ओर संयुक्त वित्त सचिव बिहार श्री उदयन मिश्रा एवं जेम के अधिकारी श्री इम्तियाज अंसारी। दाँयी और चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में पंजीयन एवं जेम की विस्तारपूर्वक जानकारी हेतु चैम्बर में बैठक एवं पंजीयन कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें सदस्यों ने जेम में अपना-अपना पंजीयन कराया। इस अवसर पर जेम के उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री निर्मल कुमार एवं संयुक्त वित्त सचिव, बिहार श्री उदयन मिश्रा उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत सम्बोधन में बताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा इसके सभी उपक्रमों में जो भी वस्तुओं की खरीद होगी या सेवाएं ली जाएगी वह GeM (Government e-Marketplace) के माधयम से Online होगी । DGS&D (Director General of Supplies & Disposals) की समाप्ति के बाद इसकी महत्ता काफी बढ़ गई है और आज के दिन में इसमें निबंधन करना आवश्यक हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर की ओर से आज की बैठक एवं कैम्प का आयोजन किया गया है जिससे कि हमारे सदस्य इससे अच्छी तरह अवगत हो जाएं या किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो जानकारी दें ताकि विभाग के लोग उसे दूर कर सकें।

बैठक के पूर्व एक कैम्प का भी आयोजन किया गया जिसमें जेम की टीम द्वारा नया निबंधन किया गया एवं कुछ सदस्यों को पोर्टल पर आ रही कठिनाईयों का समाधान भी किया।

इस अवसर पर चैम्बर की ओर से आई टी उप समिति के संयोजक श्री राजीव अग्रवाल ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें जेम के पंजीयन एवं अन्य समस्याओं से जेम के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।

जेम के पदाधिकारियों द्वारा जेम की महत्ता एवं उसकी पंजीयन की प्रक्रिया को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से व्यवसायियों को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

बैठक में जेम के उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री निर्मल कुमार एवं संयुक्त वित्त सचिव श्री उदयन मिश्रा ने बताया कि यह एक पारदर्शी एवं विक्रेता को आसानी से भुगतान मिलने वाली प्रक्रिया है। जेम के पदाधिकारियों ने चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल से अनुरोध किया कि राज्य के विभिन्न

जेम पंजियन कैम्प में लोगों को जानकारी देते जेम अधिकारी श्री इम्तियाज अंसारी।
उनकी बाँयी और चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के अग्रवाल, श्री नवीन गुप्ता, दाँयीं और उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारणी सदस्य श्री शशि गोयल।

जेम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री निर्मल कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। दाँयी और चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं बाँयी ओर संयुक्त वित्त श्री उदयन मिश्रा।

संयुक्त वित्त सचिव श्री उदयन मिश्रा को पुष्पगुच्छ देकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल।
साथ में जेम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री निर्मल कुमार

बैठक को संबोधित करते जेम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री निर्मल कुमार।
उनकी बाँयीं और संयुक्त वित्त सचिव श्री उदयन मिश्रा एवं
दाँयी और चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

जेम रजिस्ट्रेशन हेतु उपस्थित व्यवसायीगण एवं चैम्बर पदाधिकारीगण।

जिलों में कार्यरत चैम्बर एवं विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से बात करके विभाग को सूचित करें ताकि राज्य के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए और वहाँ के व्यवसायियों को जेम के बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा सके। बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, वरीय सदस्य श्री नवीन गुप्ता, श्री मुकेश कुमार, श्री जी० पी० सिंह, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री जे० के० झुनझुनवाला, श्री गणेश कुमार खेमका, श्री बिनोद कुमार के साथ-साथ काफी संख्या में राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी एवं प्रेस बन्धु सम्मिलित हुए।

BCCI Submitted Points related to GeM (Government-e-Market Place)

1. Technically incorrect products being uploaded on the portal and unauthorized resellers calling themselves as OEMs (Original Equipment Manufacturers).
2. Dealers across the country uploading and quoting the product without taking proper GEM authorization from the OEM...probably action taken?
3. Warranty manipulation done by unauthorized partner because they are buying and selling non standard products.
4. Some time customer is asking for 3/5 years warranty but dealers are buying with one Year warranty from unauthorized

source and selling on GEM. OEM will not take any responsibility for wrong supply.
5. Fake Operating System being supplying by the Dealer and OEM will not take any responsibility because these partner are not authorized by OEM to sell the product on GEM and there is no guarantee of genuine OS.
6. Local parts integration. Many partner are integrating RAM, DVD etc locally which will create problem during warranty period.
7. Reconsideration of default delivery timeline (Presently it is 15 days which is very difficult).
8. Technical comparison of product is not very correct as every OEM has some unique features which resulting into monopoly practices.
9. Brand name specific bid is coming which again restricting the proper competition.
10. Bidders are under quoting and they are regretting to supply and there is no proper mechanism to penalize them.
11. MSME /SSI price advantage of 15% is not being considered.
12. Search keywords to be widened.
13. Service products not activated like Annual Maintenance, Repairs, and Digitization.
14. Priority sector industry inclusion methodology should also be defined.
15. State level dispute redressal technical committee should be formed.
16. Preference to state level Industries in purchase should be incorporated.
17. MRTP clauses adherence should be assured.
18. Difficulties in Registration of GeM.

चैम्बर द्वारा भारत सरकार की नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पर एक कार्यशाला का आयोजन

कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं और निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री धर्मेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री मनीष कुमार, नेशनल स्कील डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के श्री अनुभव सिन्हा, आरडीएटी के श्री आर. सी. मंडल एवं अन्य।

कार्यशाला में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, रिजनल डायरेक्टोरेट ऑफ अप्रेंटीशीप ट्रेनिंग एवं अमास स्कील वेंचर्स की ओर से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या हैं और इससे कैसे नये प्रशिक्षुओं को तैयार किया जा सकता है जिससे कि उद्योगों को भी फायदा हो एवं युवाओं को अधिकाधिक रोजगार मिल सके, इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों का इसमें कैसे ऑनलाइन पंजीयन होगा, इसके संबंध में भी विस्तारपूर्वक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया गया।

श्री धमेन्द्र सिंह, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण ने बताया कि आज के कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि उद्योगों को शिक्षु प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने में क्या- क्या कठिनाई आती है। साथ ही उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से इस कार्य में सहयोग का भी अनुरोध किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को चैम्बर प्रांगण में भारत सरकार की नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बैठक में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के शिक्षु प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियाँ / प्रतिष्ठानों / उद्योग अधिकाधिक संख्या में शिक्षु प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दें। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत उद्योगों के द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जा रही छात्रवृत्ति का 25% केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है जिससे कि अधिकाधिक उद्यमी एप्रेंटिसशिप स्कीम को अपना सकें।

कार्यशाला को संबोधित करते निदेशक, श्रम एवं नियोजन श्री धर्मेन्द्र सिंह। उनकी दाँयीं और क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कार्यकारीणी सदस्य श्री सुभाष कुमार पटवारी, बीआईए के अध्यक्ष श्री के. पी. एस. केशरी।

कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधिगण एवं चैम्बर के सदस्यगण।

कार्यशाला में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, बीआईए के अध्यक्ष श्री के० पी० एस० केसरी, सीआईआई के चैरयमैन श्री पी० के० सिन्हा, एनएसडीसी के श्री अनुभव सिन्हा, आरडीएटी के श्री डी० बसाक एवं श्री आर० सी० मंडल, अमास स्कील वेंचर के श्री राजकुमार एवं देश के प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा- आईटीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, रीगा सुगर मिल, कम्फेड, गोदरेज एवं एचपीसीएल के प्रतिनिधियों के साथ-साथ काफी संख्या में चैम्बर के उद्यमी, व्यवसायीगण तथा प्रेस बन्धु कार्यशाला में सम्मिलित थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने "Role of Entrepreneurs in Shaping the Bihar" पर ललित नारायण मिश्रा संस्थान में व्याख्यान दिया

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते एल. एन. मिश्रा संस्थान के अधिकारी।

कार्यक्रम में व्याख्यान एवं छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने दिनांक 14 सितम्बर 2018 को स्थानीय ललित नारायण मिश्रा संस्थान के छात्रों को "Role of Entrepreneurs in Shaping the Bihar" विषय पर व्याख्यान दिया एवं छात्रों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जबाव दिया।

इस अवसर पर ललित नारायण मिश्रा संस्थान के पदाधिकारी द्वारा श्री अग्रवाल को बुके देकर स्वागत किया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने संस्थान के पदाधिकारी को कॉफी टेबुल बुक देकर सम्मानित किया।

चैम्बर अध्यक्ष भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर श्रीमती सुनीता प्रकाश। बाँयीं ओर परिषद् के संरक्षक आचार्य डॉ० चन्द्रभूषण मिश्र एवं अन्य।

भारत विकास परिषद, दक्षिण बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता 2018 का आयोजन दिनांक 16 सितम्बर 2018 को स्थानीय लाला लाजपत राय भवन, छज्जूबाग में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस अवसर पर परिषद के संरक्षक शास्त्रोपासक आचार्य डा. चन्द्रभूषण मिश्र, विशिष्ट अतिथि में श्री अखिलेश कुमार जैन, राज्य विधि परामर्शी, श्री विमल जैन, राष्ट्रीय मंत्री, दिव्यांग सेवा एवं श्रीमती सुनीता प्रकाश उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि सेवा एवं संस्कार को समर्पित संगठन भारत विकास परिषद विगत् 41 वर्षो से देश की नयी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृति प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय गीतों की प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है जो प्रसंशनीय है।

इस अवसर पर परिषद द्वारा श्री अग्रवाल को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को अंगवस्त्रम् एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित करते परिषद् के अधिकारी।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल, बिहार से की शिष्टाचार मुलाकात

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लालजी टंडन से दिनांक 8 सितम्बर 2018 को राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सम्मिलित थे।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव से मिला

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 18 सितम्बर 2018 को राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ० प्रतिमा से मिला। इस बैठक में वैट / जी.एस.टी. के Reimbursment संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के अतिरिक्त श्री एस. के. पटवारी, श्री आलोक पोद्दार, श्री सुनील सराफ, श्री उत्पल सेन, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री मनोज आनन्द तथा श्री सज्जन डालमियाँ भी सम्मिलित थे।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 15 अक्टूबर

सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिनांक 24.9.2018 को कहा कि समय-सीमा 30 सितम्बर से एक पखवाड़ा बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया गया है।

बोर्ड को इस बारे में कई साझेदारों और दाताओं ने आग्रह किया था कि समय-सीमा बढ़ाई जाए। हालांकि बोर्ड ने कहा कि आयकर कानून, 1961 की धारा 234-ए के लिए समय-सीमा में बदलाव नहीं किया गया है।

(दैनिक जागरण, 25.9.2018)

केन्द्रीय वित्त सचिव श्री हंसमुख अधिया ने चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों के साथ GST पर की बैठक

परिचर्चा को संबोधित करते माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयीं ओर केन्द्रीय वित्त सचिव डॉ० हँसमुख अधिया। प्रधान सचिव वित्त श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, राज्य-कर आयुक्त डॉ० प्रतिमा एवं अन्य। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण।

दिनांक 21 सितम्बर, 2018 को होटल मौर्या, पटना में GST के सम्बन्ध में चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। परिचर्चा को मुख्य अतिथि डॉ० हंसमुख अधिया, वित्त सचिव भारत सरकार एवं श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्य (वाणिज्य-कर) मंत्री, बिहार ने सम्बोधित किया एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा व्यावसायिक संगठनों की समस्याओं को सुना।

परिचर्चा में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

परिचर्चा को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। GST उप समिति के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सहित सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

परिचर्चा को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष, बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड से मिला

दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अधयक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री जी० एस० कंग, भा०प्र०से० से मिला एवं राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक पोद्दार सम्मिलित थे।

बिहार हस्तशिल्प क्रेता-विक्रेता समारोह एवं बिहार महिला उद्योग मेले के उद्घाटन के अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष हुए शामिल

मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँये से दूसरे)। उनकी दाँयी ओर क्रमशः माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग डॉ० एस. सिद्धार्थ, उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास श्री रविन्द्र प्रसाद, उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण श्री पंकज कुमार सिंह। उनकी बाँयी ओर बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा श्रीमती उषा झा।

कार्यक्रम में हस्त निर्मित पुष्प प्रदान कर चैम्बर अध्यक्ष को सम्मानित करते उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के अधिकारी।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

पटना के ज्ञान भवन में बिहार महिला उद्योग मेला के उद्घाटन समारोह के बाद स्टॉल का अवलोकन करते उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के उपनिदेशक अशोक कुमार सिन्हा, बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल व अन्य उद्यमी महिलाएँ।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधाान संस्थान, पटना द्वारा ''बिहार हस्तशिल्प क्रेता-विक्रेता समारोह'' एवं बिहार महिला उद्योग मेला का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में दिनांक 26 सितम्बर 2018 को किया गया। इसका उद्घाटन माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ० एस. सिद्धार्थ, उद्योग निदेशक तकनीकी विकास श्री रविन्द्र प्रसाद, उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण श्री पंकज कुमार सिंह, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल तथा बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा श्रीमती उषा झा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

श्री जय कुमार सिंह, माननीय उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि क्रेता-विक्रेता समारोह के आयोजन से शिल्पकारों को न केवल बड़ा बाजार उपलब्ध होता है बल्कि देश-विदेश में किस चीज की ज्यादा मांग है, की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि अब साल में पाँच बार क्रेता-विक्रेता समारोह आयोजित होगा जबकि दो -बार महिला उद्योग मेले का आयोजन होगा।

बिहार महिला उद्योग संघ की ओर से आयोजित 24वें मेले के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा कि इस तरह का मेला महिलाओं को उद्योग लगाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है और ऐसे आयोजन से महिलाओं में आत्मसम्मान की वृद्धि होती है।

समारोह को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से वैश्वीकरण के कारण जो परिवर्तन हुए हैं उसे शिल्पकारों को समझने की जरूरत है। कहाँ किस हस्तशिल्प की विशेष डिमाण्ड है वहाँ अपने उत्पादों के विक्रय की आवश्यकता है। हस्तशिल्प एवं महिलाओं के उत्पाद को बाजार प्रदान कराने में सरकार का सहायोग काफी उपयोगी, महत्वपूर्ण और फलदायी होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में ऐसे आयोजन काफी लाभप्रद है।

RELOCATE HEAD OFFICE OF ONE NATIONALISED BANK IN BIHAR : BCC

BCCI SEEKS BIHAR'S REPRESENTATION IN BOARD OF DIRECTORS OF NATIONALISED BANKS AS PUBLIC REPRESENTATIVE DIRECTOR TO RAISE STATE'S CONCERN OVER DISMAL CD RATIO AND OTHER ISSUES

Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) has made a strong pitch for relocating the head office of at least one nationalised bank in Bihar to provide the much-needed boost to economic and industrial activity in the backward state.

The unusual request to prime Minister Narendra Modi and Union Finance Minister comes in the backdrop of the apathetic approach of nationalised banks in augmenting loan disbursements in the state, where credit flow has dismally failed to keep pace with deposits mobilised by them.

President of the leading industry lobby body, PK Agrawal said amid talks of removing regional disparity, it is important that the Centre relocates head office of one of the nationalised banks in the industrially backward state to trigger a turnaround in its fortunes.

The head offices of all 21 nationalised banks are located in bigger cities of industrially developed states. Out of them, Mumbai is the head office for six banks, Kolkatta and Delhi three each, Chennai and Bangalore two each and Hyderabad, Pune, Baroda, Mangalore and Manipal have one each, he said.

"To a point, this explains the poor credit-deposit ratio in Bihar. Credits mobilised from the state are invariably deployed in another state. Once the bank sets up its head office in Bihar, it will have a greater sense of ownership. This will lead to increased credit flow and creation of economic opportunities, which, in turn, will spur growth and pave the way for main-streaming the state in country's development," he added.

The BCCI president also made a plea for the representation of Bihar in the board of directors of nationalised banks in the capacity of public representative director to raise the state's concern over dismal CD ratio and also to ensure that issues related to industry are heard and resolved at the highest forum.

"Bihar has history of being represented under the category in the past. But, at present, no one from Bihar has been appointed as public representative on the boards of various nationalised banks. Out of the 41 appointed, majority come from big cities with Delhi and Mumbai accounting for 14 and 6 respectively, " he said.

The overall development of India is intricately linked with fast development of backward states, which will also help in reducing the GDP's overdependence on developed states for maintaining a steady growth, Agrawal said, maintaining "Bank's role in scripting a turnaround story can hardly be overemphasised."

(Source : Hindustan Times, 2.9.2018)

चैम्बर महिलाओं को दिखा रहा स्वावलंबन की राह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज अपने सामाजिक दायित्व के जरिये महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखा रहा है। इसके लिए चैम्बर के अंटा घाट स्थित अपने प्रांगण में ही कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया है। इसमें महिलाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। खास यह कि इस केन्द्र के संचालन में चैम्बर सरकार अथवा अन्य किसी संस्थान की मदद नहीं लेता। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं से भी किसी भी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। केन्द्र के संचालन का पूरा खर्च चैम्बर से जुड़े उद्यमी ही वहन करते हैं।

वर्ष 2014 में हुई थी शुरूआत : इस केन्द्र की शुरुआत आठ फरवरी 2014 को हुई थी। चैम्बर के तत्कालीन अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल की ओर से इसके लिए पहल की गई थी। चैम्बर के सदस्यों ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। दो दिन बाद यानी दस फरवरी हो ही प्रथम बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया था। कुल 68 महिलाएँ इसमें शामिल हुई थीं। शुरुआत में सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 12 तरह की सिलाई शामिल है। फिलहाल सिलाई-कढ़ाई का 14वां बैच चल रहा है।

हुनर सीखती जरूरतमंद महिलाएँ।

कंप्यूटर ट्रेड भी हुआ प्रशिक्षण में शामिल : 14 अप्रैल 2015 को इस केंद्र में महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेड में भी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इसके लिए अलग से कंप्यूटर कक्ष स्थापित किया गया। जून 2015 में पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। फिलहाल 14वां बैच यहाँ प्रशिक्षण ले रहा है। इसके अलावा यहाँ मेंहदी कला ट्रेड में भी यहाँ प्रशिक्षण शुरू हो चुका है।

2000 से अधिक महिलाओं को अबतक मिला है प्रशिक्षण : अब तक सिलाई ट्रेड में 1114, कंप्यूटर में 530, और मेंहदी कला में 500 महिलाएँ प्रशिक्षण ले चुकी हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएँ किसी न किसी संस्थान से जुड़ कर जॉब कर रही हैं और आत्मनिर्भर हैं। जबकि शेष अपना खुद का कार्य कर रही हैं। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि कुछ जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी गई है जिससे वे अपना काम आगे बढ़ा सकें। अपना भविष्य संवार सकें। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.9.2018)**

THE ONLY POINT OF BUSINESS KARUNA, JAYA AGREED UPON

M Karunanidhi and J Jayalalithaa as fierce political rivals could never accept the other's decisions- except when it came to industrialisation, and this rare consensus brought fortune to Tamil Nadu, making it the second richest state.

When the economy was opened up in the 1990s, TN benefited from wave of investment, starting with the entry of Ford India during AIADMK's tenure. Hyundai, Saint Gobain, Nokia, Huawei, Renault, Daimler and other followed over the decades, doing business in a conducive environment no matter which government was in power. "Karunanidhi was always receptive to suggestions and inputs. He was sensitive to the needs of industry," said N Srinivasan, Vice- chairman and MD of The India Cements Srinivasan first met Karunanidhi in 1968 when the latter was public works minister. "When it came to business, he always looked ahead," said Srinvasan.

The DMK government's focus on industry resulted in TN gaining manufacturing capabilities across sectors. In the run-up to the year 2000, When IT companies were busy setting up base in Bengaluru and Hyderabad, it dawned on Karunanidhi that 80% of the workforce in those two cities and that sector were migrants from TN. In less than a year; his government not only drew up a roadmap for the IT sector but also promoted massive IT office space project, Tidel Park.

While bankers considered it merely a real estate project, the state stood guarantee for the lenders. Chennai joined the country's elite IT club and there was no looking back. Chennai's Old Mahabalipuram Road was designated the IT Corridor' and a six-laning plan led to the development of the stretch for office, industrial and residential projects. The DMK government also set aside 1,000 acres at the other end of IT corridor for companies to develop their own IT parks. **(TOI- 8.8.2018)**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन और दलित चैम्बर देंगे सफलता के सूत्र

नए उद्यमियों के 'गुरु' बनेंगे व्यावसायिक संगठन

राज्य के प्रमुख व्यवसायी संगठन हजारों नए उद्यमियों के 'गुरु' बनेंगे। उन्हें व्यापार करने के गुर सिखाएंगे। व्यापार करने में आ रही दिक्कतें दूर करने के उपाय बताएंगे। उद्योग विभाग ने यह व्यवस्था एससी-एसटी उद्यमी योजना के तहत नए उद्यमियों के लिए की है। विभाग ने अगले साल मार्च तक पाँच हजार नए उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। एससी-एसटी के लिए राज्य सरकार ने उद्यम लगाने की नई योजना शुरू की है। इसमें 10 लाख दिए जा रहे हैं। जिसमें पाँच लाख अनुदान है और बाकी की धनराशि बिना ब्याज के लौटानी है। इस योजना के तहत दो चरणों में अब तक 274 लोगों को उद्यम लगाने के लिए धनराशि दी जा चुकी है। इससे पहले उन्हें दो सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया गया। बावजूद इसके उन लोगों को व्यापार शुरू करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कोई अनुभव न होने के कारण कठिनाई हो रही है। कुछ लोग पैसा मिलने के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं कर पाए हैं। सरकार की इस प्राथमिकता वाली योजना की सफलता के लिए उद्योग विभाग ने अब नई व्यवस्था की है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन और दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नए उद्यमियों की मेंटरिंग करने का लक्ष्य दिया गया है। तीनों संस्थाओं को पहले चरण में एक-एक हजार उद्यमियों को व्यापारिक सहयोग और उनकी समस्याओं के निदान में सहयोग करने का जिम्मा दिया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.9.2018)

शत-प्रतिशत एथेनॉल बनाने वाली चीनी मिलों को केन्द्र से मिलेगा प्रोत्साहन

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा कीमतों पर काबू पाने के लिये अब गत्रा किसानों और चीनी मिलों से अधिक सहायता लेने की रणनीति के तहत एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया हें। जो मिल चीनी बनाये बगैर गन्ने से शत-प्रतिशत एथेनॉल बनायेगी सरकार उसे प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिये गये इस अहम फैसले के बारे में जानकारी देते हुये हुये पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि जो भी गन्ने से चीनी बनाये बिना शत-प्रतिशत एथेनॉल बनायेगा सरकार उसे प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने कहा कि 17 जून को मंत्रिमंडल में एथेनॉल की कीमतों पर चर्चा की गयी थी, जिसमें एथेनाल की कीमतों को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रधान ने बताया कि एथेनाल का दाम 47.49 रुपये से बढ़ाकर 52.43 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चीनी का अधिक उत्पादन हो रहा है, सरकार इसे कम करना चाहती है। जो चीनी मिल बिना चीनी बनाये गन्ने के रस से शत-प्रतिशत एथेनाल का उत्पादन करेगी उसे इंसेंटिव दिया जायेगा। **(साभार : आज, 13.9.18)**

जीएसटीआर-1 रिटर्न की अंतिम तिथि 20 दिन बढ़ी, लेट फीस माफ

वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2017 से सितम्बर, 2018 की अवधि के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटी आर-1 दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर से बढ़ा कर 31 अक्टूबर कर दी है। इसके अलावा रिटर्न दाखिल करने में देरी का शुल्क भी माफ करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि संक्षिप्त जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करनेवाले करदाताओं की संख्या जीएसटीसार-1 दाखिल करनेवाले टैक्स पेयर्स से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि टैक्सपेयर्स की जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एकबारगी योजना लागू की गयी है। जीएसटी के तहत डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारवाली यूनिट को अंतिम बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 अगले महीने की 11 तारीख तक जमा कराना होता है। इस हिसाब से सितम्बर, 2018 के जीएसटीआर-1 को 11 अक्टूबर, 2018 तक जमा कराना होगा। अब इस तारीख को बढ़ा कर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपये तक कारोबार वाली इकाइयाँ तिमाही रिटर्न जमा करा सकती हैं। एक तिमाही का रिटर्न अगले महीने की 31 तारीख तक जमा कराना होता है। **(साभार : प्रभात खबर, 11.9.2018)**

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने संसद की एस्टिमेट कमीटी को भेजे अपने जवाब में कहा

फंसे कर्ज के लिए अति आशावादी बैंकर्स और निर्णय लेने में सुस्ती है जिम्मेदार

बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या बढ़ने के लिए अति आशावादी बैंकर्स और सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया में सुस्ती जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने संसद की एस्टिमेट कमेटी को भेजे अपने जवाब में यह बात कही है।

मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली इस समिति से कहा है कि न सिर्फ यूपीए बल्कि इसके बाद बनी एनडीए सरकार के दौरान भी गवर्नेस को लेकर कई प्रकार की समस्याएँ रहीं। इनमें कोयला खदानों के संदिग्ध आवंटन के साथ-साथ जांच के डर ने सरकार के फैसले लेने की रफ्तार धीमी कर दी। इससे जहाँ एक ओर अटकी परियोजनाओं की लागत बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर कंपनियां लिए गए कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गई। देश में बिजली की कमी के बावजूद बंद पड़े बिजली संयंत्र बताते हैं कि आज भी सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त तेजी नहीं आ पाई है।

राजन ने कहा है कि फंसे कर्ज के ज्यादातर मामले वे हैं जिनमें कर्ज मूल रूप से 2006 से 2008 के बीच में लिया गया था। उस समय आर्थिक विकास की रफ्तार मजबूत थी।

कमजोर रुपए का असर / पेट्रोल 23 पैसे, डीजल 22 पैसे महंगा

दिल्ली में 80.73 रु. का हुआ पेट्रोल : पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 22 पैसे महँगे हुए । पेट्रोल की कीमत 80.73 रुपए और डीजल की 72.83 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। इस बीच वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने इन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से फिर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का घाटा बढ़ जाएगा।

कच्चे तेल का आयात बिल 87% बढ़ा : जुलाई में कच्चे तेल का आयात बिल 87% बढ़ गया है। जुलाई 2017 में 37, 277 करोड़ रु. का क्रूड आयात हुआ था। जुलाई 2018 में यह 69,912 करोड़ हो गया। हाल के दिनों में कच्चे तेल के दाम लगातार 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चल रहे हैं।

क्या कर सकता है रिज़र्व बैंक : • एनआरआई डिपॉजिट स्कीम लाई जा सकती है। एनआरआई की जमा से डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा • रुपए को बचाने के लिए मई में आरबीआई ने 5.8 अरब डॉलर और जून में 6.18 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची थी।

रुपए की कमजोरी शेयर बाजार पर हावी रही : रुपए में कमजोरी के चलते शेयर बाजार भी तीन हफ्ते के निचले स्तर पर पहुँच गए। बीएसई का सेंसेक्स 467.65 अंक यानी 1.22% गिरकर 37, 922.17 पर आ गया। यह 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले सेंसेक्स 16 मार्च को 509.54 अंक नीचे आया था। निफ्टी-50 भी 151 अंक गिरकर 11,438.10 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में सन फार्मा में सबसे ज्यादा 3.72% और महिंद्रा में 3.64% की गिरावट आई। एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा 0.99% की बढ़त रही। सेक्टर के लिहाज से देखें तो ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.74% गिरावट आई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 1.96 लाख करोड़ की गिरावट आई है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.9.2018)

केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर बिहार से सुझाव मांगा, शून्य से 200 यूनिट का पहला स्लैब होगा

बिजली उपभोक्ताओं की होंगी सिर्फ 5 श्रेणियाँ

बिजली उपभोक्ताओं की अब पाँच श्रेणी होगी। शून्य से 200 यूनिट का पहला स्लैब होगा। गाँव शहर या व्यवसाय के बजाए लोड के अनुसार उपभोक्ताओं का वर्गीकरण किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर बिहार सरकार से सुझाव मांगा है।

दरअसल देश के सभी राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं का अलग-अलग वर्गीकरण है। कहीं शून्य से 100 तो कहीं शून्य से 50 यूनिट का पहला स्लैब है। गाँव व शहर के आधार पर उपभोक्ता अलग-अलग हैं। सभी राज्यों में स्लैब व लोड एकसमान करने के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाया है। इसके लिए 20 सितम्बर तक राज्यों से सुझाव मांगे गये हैं। बिहार में अभी ग्रामीण व शहरी इलाकों में घरेलू व व्यावसायिक, छोटे-बड़े उद्योग, सिंचाई, सार्वजनिक स्थलों सहित 40 श्रेणी हैं।

बिहार में मौजूदा बिजली दर

यूनिट	शहरी क्षेत्र दर	यूनिट	ग्रामीण क्षेत्र दर
1-100	4.32	0-50	2.65
101-200	5.12	51-100	2.90
201-300	5.97	100 से ऊपर	3.15
300 से अधिक	6.77	(नोट: रुपये प्रति यूनिट)	

केन्द्र द्वारा उपभोक्ताओं के लिए पाँच श्रेणी घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, उद्योग व संस्थागत बनाया गया है। विनियामक आयोग को छूट दी गई है कि वह बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों के लिए अलग से श्रेणी बना सकता है। यह भी कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो उपभोक्ताओं को अनुदान दे सकती है। अगर कोई उपभोक्ता कम खपत वाले स्लैब में कनेक्शन लेकर अधिक बिजली खपत करता है तो उस पर उसी महीने जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है।

यह हो सकता है लोड : शून्य से 02 किलोवाट, 02 से 05 किलोवाट, 05 से 10 किलोवाट, 10 से 25 किलोवाट और पाँचवाँ 25 किलोवाट से अधिक।

यह हो सकता है स्लैब : 0 से 200 यूनिट, 201से 400 यूनिट, 401 से 800 यूनिट, 801 से 1200 यूनिट और पाँचवाँ 1200 यूनिट से अधिक।

स्लैब पर बिहार जता सकता है आपत्ति : गांवों में अभी एक किलोवाट और 0 से 50 यूनिट तक का स्लैब है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम दो किलोवाट और 0 से 100 यूनिट का पहला स्लैब है। केन्द्र ने पहला स्लैब 0 से 200 यूनिट और न्यूनतम 2 किलोवाट का बनाया है। इसे लागू किया गया तो टैरिफ बदलने के कारण अभी की तुलना में अधिक बिजली बिल आएगा। अभी बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 50 यूनिट तो शहरी क्षेत्र में 100 यूनिट तक का पहला स्लैब है। ग्रामीण में 50 यूनिट तक 2.65 और शहरी में 100 यूनिट तक 4.32 रुपये प्रति यूनिट देने पड़ते हैं। अगर 200 यूनिट का स्लैब हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3.15 और शहर में 5.12 रुपये प्रति यूनिट न्यूनतम दर होगी। राज्य सरकार पहले स्लैब को 100 यूनिट तक करने सहित अन्य जरुरी सुझाव दे सकती है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2018)

तेनुघाट परियोजना से बिहार ने मांगी आधी बिजली

99.99 फीसदी शेयर परियोजना के बिहार के राज्यपाल के नाम है

झारखण्ड की तेनुघाट बिजली परियोजना का विवाद अब खत्म हो सकता है। पूर्ण स्वामित्व को लेकर 18 वर्षो से जारी विवाद के निबटारे को बिहार सरकार ने तेनुघाट पर पूरा मालिकाना हक के बजाए यहाँ की आधी बिजली मांगी है। 14 सितम्बर को बिहार सरकार इस पर दावेदारी पेश करेगी। बिहार के राज्यपाल के नाम पर 99.99 फीसदी शेयर वाली इस बिजली घर की नींव 1989 में बोकारो के ललपनिया में रखी गई थी। 1996-97 से यहाँ 400 मेगावाट बिजली उत्पादित होने लगी।

2000 में बिहार विभाजन के बाद 210 मेगावाट की दो इकाई वाली इस परियोजना पर झारखंड सरकार ने दावा ठोक दिया। दावेदारी का मूल कारण इसका बोकरो में होना बताया। 27 फरवरी 2001 को झारखंड ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट पहुँचा। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया। तब झारखंड सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में अपील कर दी।

बीते कई वर्षो से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में बिहार सरकार मुकदमा लड़ने में 15 करोड़ खर्च कर चुकी है। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय ऊर्जा सचिव को कहा कि वह बिहार-झारखंड सरकार के साथ मिल-बैठकर इस मसले का समाधान करें। इसके बाद बिहार ने समाधान का रास्ता तैयार किया है।

राज्य सरकार का तर्क है कि कंपनी एक्ट के तहत बनी इस परियोजना में बिहार को कम से कम आधी बिजली मिले। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.9.2018)**

चकाचक होगा फतुहा यार्ड कीचड़ से मिली निजात

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों की मांग पर फतुहा रेलवे यार्ड को चकाचक करने पर जोर दिया जा रहा है। यार्ड वर्षों से कीचड़ से पटा रहता था। अब पक्की सड़क का निर्माण कर व्यापारियों को कीचड़ से होने वाली परेशानियों से निजात दिला दी गई है। फतुहा यार्ड में करोड़ों की लागत से सीमेंट के स्लीपर से बनी सड़क का उद्घाटन के मौके पर साक्षी बने दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर फतुहा पहुँचे। इनके साथ वरिष्ठ मंडल परिचालन अधिकारी पंकज कुमार भी पहुँचे थे। डीआरएम के निर्देश पर नव निर्मित सड़क का उद्घाटन फतुहा के स्टेशन प्रबंधक मिथिलेश शरण ने फीता काटकर किया।

इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक श्री ठाकुर ने बताया कि जलजमाव से फतुहा रेलवे यार्ड की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए यार्ड में डीडी टू एवं डीडी थ्री लाइन की सड़कों को मजबूती से सीमेंट के स्लीपर के द्वारा बनाया गया है। भविष्य में अन्य लाइनों की सड़कों को भी इसी तरह से बनाया जाएगा। इसके साथ ही यार्ड में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। हाइमास्ट लगाए गए हैं। शीघ्र ही पूरे यार्ड में एलइडी बल्ब व ट्यूब लगाकर इसे चकाचक किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.9.2018)

प्लास्टिक कैरी बैग का 24 से बंद हो जाएगा निर्माण

प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के आदेश के बाद 150 फैक्ट्रियों में लटक जाएंगे ताले, गोदाम में तैयार माल सौंपना होगा नगर निगम को

प्लास्टिक कैरी बैग का कारोबार आठ दिनों में बंद हो जाएगा। इसके बाद इस इंडस्ट्री के पास उपलब्ध कच्चा माल और प्रोडक्शन का सारा माल कबाड़ हो जाएगा। 24 सितम्बर से उत्पादन करने वाले करीब 150 छोटे-बड़े कारखानों में ताले लग जाएंगे। थोक और खुदरा बिक्री करने वालों को सप्ताह भर की मोहलत है कि वे अपना माल कबाड़ के भाव में रीसाइकिल करने वाली प्लास्टिक फैक्ट्री को बेच सकते हैं। चाहें तो नगर निगम को सौंप दें, ताकि निगम उसका उचित प्रबंधन कर सके।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक कैरी बैग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मंशा जाहिर कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष ने पटना सिटी के प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लोगों को 24 सितम्बर के बाद उत्पादन, बिक्री और उपयोग करने से मनाही कर दी है। प्लास्टिक उद्योग के संचालक और पटना सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार बिना समय दिए बंदी का फरमान हजारों लोगों को बेरोजगार बनाएगा। उप-मुख्यमंत्री से मिलकर उद्योग को बचाने और एक साल में काम समेटने का मौका मांगेंगे। अचानक बंदी से कारोबारियों और उद्योग की पूंजी फंस जाएगी। जो माल बना हुआ है, उसे कहीं दूसरी जगह बेचने के लिए वक्त देना चाहिए।

(साभार : दैनिक जागरण, 16.9.2018)

तुरंत करनी होगी पॉलिथीन स्टॉक की घोषणा

सरकारी नोटिस पर नजर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलर्ट : हानिकारक पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैए के बीच सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक्टिव मोड में है। उम्मीद है कि सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने के लिए इसी माह के अंत तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके तुरंत बाद बिहार में भी पॉलिथीन को पूरी तरह से बंद कर किया जा सकता है। उल्लंघन करने वालों पर पेनाल्टी अर्बन डिपार्टमेंट निर्धारित करेगी। जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके कारोबार में जुटे लोगों से सख्ती के साथ पेश आएगा। इस संबंध में पटना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष ने व्यापारियों को आगाह किया है कि सरकार से नोटिफिकेशन होने के स्थिति में उन्हें तुरंत अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक की दिशा में पूरा सहयोग करना होगा। अन्यथा अर्बन डिपार्टमेंट से निर्धारित जुर्माना और दूसरी कार्रवाईयाँ की जाएँगी।

व्यापारियों को किया आगाह : पटना सिटी, दानापुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के करीब 100 से अधिक व्यापारियों को बुलाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में चेतावनी दी। उन्होंने कहा हैं कि सरकार से नोटिफिकेशन होने के तुरंत बाद प्रदेश में पॉलिथीन का इस्तेमाल पूरी परह से बैन हो जाएगा। इसी क्रम में राजधानी पटना में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगा दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने व्यापारियों से कहा कि 50 माइक्रोन से कम परत वाले कैरी बैग का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 16 मार्च 2016 से ही रोक है।

रोज 70 टन पॉलिथीन का उपयोग : पटना में प्रतिदिन करीब 70 टन से अधिक पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 टन प्रतिदिन किसी न किसी पैकिंग में बाहर से राजधानी में पहुँचता है। इस पॉलिथीन में अधिकांश पर्यावरण और जीव-जंतुओं के लिए जहर का काम रहे 50 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन का हिस्सा होता है। अभीतक राजधानी में पॉलिथीन के रोक पर नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह से फैल्योर है। जिसकी वजह से राजधानी में पर्यावरण तेज़ी के साथ असंतुलित हो रहा है।

दूसरे राज्यों की तर्ज पर प्रतिबंध : दूसरे प्रदेशों के सरकारों की कोशिश है कि पॉलीथिन को पूरी तरह से बैन किया जाए। कारण कि 50 माईक्रोन से क्रम पॉलीथिन की वजह से अलग-अलग बीमारियाँ के साथ ही पर्यावरण को तेजी से नुकसान पहुँच रहा है। साथ ही नाला-नालियां और समुद्र के तलहटी में पहुँचकर ये पॉलीथिन जहर का काम कर रही है। इसी तर्ज पर पटना में भी पहली कोशिश यह होगी कि पॉलीथिन को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। साथ ही पहले से उपलब्ध पॉलीथिन को किसी न किसी तरह से डिस्पोजल किया जाए।

अभी व्यापारियों के पास है ये विकल्प : उद्यमियों के लिए विकल्प यह होगा कि या तो पॉलिथीन का स्टॉक बताते हुए रिसाइक्लिंग वाले उपक्रम को सौंपें, या फिर ऐसे राज्यों में जाकर बेच दें जहाँ पॉलिथीन पर रोक नहीं है। साथ ही पहले से उपलब्ध पॉलिथीन को व्यापारी चिन्हित कर सरकार को जानकारी देंगे जहाँ डिस्पोजल की कार्रवाई होगी।

"हमने व्यापारियों को आगाह किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार से नोटिफिकेशन होते ही पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक होगा। उम्मीद है कि यह नोटिफिकेशन 24 सितम्बर तक हो जाए। इसके बाद पॉलिथीन के इस्तेमाल पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा।"

अशोक कुमार घोष, अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना

(साभार : दैनिक जागरण, 17.9.2018)

ग्रामीण बसावटों को जोड़ने में बिहार को पहला स्थान

बिहार ने एक बार फिर से अपने विकास कार्यों से राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा दिया है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की सुदूर वसावटों को जोड़ने में बिहार सबसे तेजी गति से संपर्कता दिया है। बिहार में ग्रामीण सड़कों के माध्यम से बसावटों को जोड़ने के निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में हासिल किया गया है। अब इन बसावटों में रहने वाले लोगों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। बिहार को यह दोनों पुरस्कार मिला। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख सुभाष चरण ने बताया की वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 343418 बसावटों को जोड़ा गया। इसमें बिहार ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि 5257 किलोमीटर पीएमजीएसवाई में सड़क बनाकर बिहार में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इसके लिए विभाग के सभी अभियंताओं और को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि विभागीय मंत्री शैलेश कुमार और सचिव विनय कुमार के मार्ग निर्देशन में यह सफलता अर्जित की है। मालूम हो कि ग्रामीण कार्य विभाग के पास 129000 किलोमीटर सड़क है और अभी तक करीब 7500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, इतनी ही बसावटों को सड़क से जोड़ भी दिया गया है। **(साभार : प्रभात खबर, 13.9.2018)**

क्या है आरबीआइ की स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी?

जागरण पाठशाला : बाजार में अतिरिक्त नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक के पास 'स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी' के नाम से एक और विकल्प आ गया है। इसके तहत केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के पास रखी अतिरिक्त नकदी को अपने पास रख सकता है। यह व्यवस्था क्या है और रिवर्स रेपो से यह किस तरह अलग हैं। जागरण पाठशाला के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों-'रेपो' व 'रिवर्स रेपो' के बारे में आपने पढ़ा होगा। ब्याज दरों का रुख तय करने और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ाने व घटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नकदी प्रबंधन के लिए आरबीआइ के तरकश में अब एक और तीर जुड़ने जा रहा है। यह है 'स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी'।

स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) ऐसा तंत्र है जिसका इस्तेमाल कोई भी केन्द्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त नकदी को सोखने के लिए करता है। यह बिल्कुल 'रिवर्स रेपो' की तरह काम करता है, लेकिन कई मामलों में उससे भिन्न होता है। आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था में नकदी घटने या बढ़ने का सीधा असर महँगाई और विकास पर पड़ता है, इसलिए केन्द्रीय बैंक की यह कोशिश होती है कि नकदी का प्रवाह उपयुक्त स्तर पर बना रहे। इसके लिए वह मौद्रिक नीति के तहत अलग-अलग तंत्रों का सहारा लेता है।

मसलन, 'रेपो दर' जिस पर वह बैंकों को उधार देता है और 'रिवर्स रेपो दर' जिस पर बैंकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त नकदी को लेकर अपने पास जमा करता है। हालांकि 'रेपो दर' के तहत बैंकों को उधार लेते समय आरबीआइ के पास जी-सेक (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) गिरवी रखनी पड़ती है। इसी तरह आरबीआइ को भी 'रिवर्स रेपो दर' पर बैंकों की धनराशि जमा कराने के एवज में जी-सेक कोलैटरल के रूप में रखनी पड़ती है। एसडीएफ में ऐसा नहीं होगा। एसडीएफ के तहत बैंक जब अतिरिक्त नकदी रिजर्व बैंक के पास जमा कराएँगे तो आरबीआइ को बैंकों के पास जी-सेक गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह रिजर्व बैंक बिना कुछ गिरवी रखे ही एसडीएफ में बैंकों से धनराशि जमा करा सकेगा और सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को सोख सकेगा।

आरबीआइ आने वाले समय में यह सुविधा शुरू करेगा। जो बैंक और वित्तीय संस्थान फिलहाल आरबीआइ की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रिवर्स रेपो का इस्तेमाल कर नकदी जमा करते हैं, वे एसडीएफ के लिए भी पात्र होंगे। सामान्यत: एसडीएफ की अवधि एक दिवसीय यानी ओवरनाइट होती है लेकिन कुछ मामलों में यह नियमित आधार पर फिक्स्ड अवधि के लिए भी जारी की जा सकती है।

भारत में एसडीएफ का विचार सबसे पहले रिजर्व बैंक के एक आंतरिक समूह ने 2003 में दिया था। इसके बाद मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने को 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने भी सिस्टम से अतिरिक्त नकदी सोखने को एसडीएफ का इस्तेमाल करने की सिफारिश की। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पहली फरवरी को आम बजट 2018-19 पेश करते हुए बजट भाषण में इस आशय की घोषणा की।

(साभार : दैनिक जागरण, 10.9.2018)

नपेंगे थाना क्षेत्र का हवाला देकर केस दर्ज नहीं करने वाले थानेदार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि-व्यवस्था से जुड़ी समीक्षा बैठक में दी सख्त हिदायत

थाना विवाद का हवाला देकर अपराध से जुडे मामले में प्राथमिकी नहीं दर्ज करने वाले थानेदारों की अब खैर नहीं। ऐसे थानेदारों पर सरकारी आदेश की अवहेलना के जुर्म में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में डीजीपी, मुख्य सचिव, पुलिस के आला अधिकारी, सभी जोनल आइजी-डीआइजी के साथ विधि-व्यवस्था की समीक्षा को ले छह घंटे से अधिक चली बैठक में यह निर्देश दिए। सभी जिलों के डीएम-एसपी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए। लंबित अनुसंधानों की समीक्षा का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक के बाद गृह सचिव आमिर सुबहानी ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में दी।

353 थानेदारों पर हुई है कार्रवाई : बैठक में अपराध से जुड़े मामले में थानों की मॉनीटरिंग की गई। इस क्रम में 100 थाने को अपराध नियंत्रण के मामले में कमजोर पाया गया। इन 100 थाने के 353 पुलिस कर्मियों जिनमें थानेदार भी शामिल हैं पर कार्रवाई की गई है।

हर थाने को दो गाड़ी और बेस फेन दिए जाएँ : मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के सभी थानों के लिए दो गाड़ी उपलब्ध कराई जाएँ। अगर गाड़ी खरीदने की जरूरत है तो खरीद की जाए। इसके अतिरिक्त थानों में एक बेस फोन भी लगाया जाए।

मुख्यमंत्री कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा बैठक में उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बालू माफिया, भूमाफिया एवं अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर हो रहे हमले पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की।

सीएम ने दिए ये निर्देश : • वारदात चाहे जहाँ हुई हो मामले की प्राथमिकी किसी भी थाना में दर्ज की जाएगी • जिन मामलों में चार्जशीट दर्ज हो गई। उनमें स्पीडी ट्रायल कराने की हिदायत • रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पुलिस वालों पर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा • हर शनिवार अंचलाधिकारी और थानेदार भूमि विवाद से जुड़े मामले सुलझाएंगे। **(विस्तृत: दैनिक जागरण, 13.9.18)**

अब थानों में तैनात होंगे मैनेजर

संविदा पर होगी थाना प्रबंधकों की निबुंक्ति विज्ञापन अगले सप्ताह

राज्य के थानों में अब कॉरपोरेट ऑफिस की तरह मैनेजर होंगे। इनका काम थानों को हर प्रकार की सहूलियत मुहैया कराना होगा। थाना मैनेजर के पद पर नियुक्ति का विज्ञापन अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। गया यात्रा से लौटने के बाद प्रदेश के मुख्यसचिव दीपक कुमार ने पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस आशय का निर्णय लिया।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.9.2018)

बैंकों की बेरुखी से छले गए बिहारी छात्र, अब जगी आस

बैंकों के असहयोग से निराश बिहारी छात्रों को शिक्षा वित्त निगम ने संजीवनी दी है। राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। बैंकों की नाकामी और असहयोगात्मक रवैये के बाद शुरू किए गए शिक्षा वित्त निगम ने 50 दिन में वह काम कर दिखाया जो बैंक 17 महीने में नहीं कर पाए। निगम ने 50 दिन की छोटी सी अवधि में नौ हजार से अधिक विद्यार्थियों को 2.60 अरब रुपये का शिक्षा ऋण स्वीकृत कर दिया।

दो दर्जन बैंकों ने दिखाई थी उदासीनता : राज्य सरकार ने दो अक्टूबर 2016 को सात निश्चय के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। योजना प्रारंभ होने के पूर्व शिक्षा ऋण स्वीकृति के लिए सरकार ने 23 राष्ट्रीयकृत बैंकों से करार किया। व्यवस्था बनी कि जिला निबंधन केन्द्र के जरिए लोन के लिए मिले आवेदन बैंकों को भेजे जाएंगे और बैंक 15 दिन की मियाद लेकर चार लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत कर देंगे।

बैंकों का रवैया सरकार को पसंद नहीं : शिक्षा ऋण के लिए सरकार की शत प्रतिशत गारंटी के बाद भी बैंकों का रवैया शुरू से सहयोग का नहीं रहा। सचाई यह है कि 17 महीने की अवधि में बैंकों को तकरीबन 35 हजार ऋण आवेदन भेजे गए जिसमें से दो हजार आवेदन पर भी बैंक ने स्वीकृति नहीं दी।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.9.2018)

गड़ियाँ हुईं महँगी एक्स शोरुम प्राइस पर लगेगा टैक्स

पटना सहित पूरे बिहार में अब गाड़ियाँ खरीदने पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आइजीएसटी के साथ एक्स शोरूम कीमत पर सरकार रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूलेगी। परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 आठ सितम्बर से प्रभावी कर दिया है। अब बाइक से लेकर कार, बस और सभी श्रेणी व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

अधिसूचना जारी परिवहन विभाग ने नई और पुरानी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाया

ऑटो पर टैक्स

• **10 हजार :** 4 सीट वाले तिपहिया (चालक छोड़) पर 15 साल के लिए • **6700 रुपए** तिपहिया जिनका निबंधन एक वर्ष के भीतर हुआ है उन पर 10 वर्ष के लिए • **6 हजार** 10 वर्ष से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले 5 साल के लिए •**15 हजार** 7 सीट वाले तिपहिया (चालक छोड़) पर 15 साल के लिए।

बाइक-कार पर टैक्स की नई दर : • **सीट** (13-26) : साधारण (550) : सेमीडीलक्स (675) : डीलक्स (785) • **सीट** (27-32) : साधारण (600) : सेमीडीलक्स (750) : डीलक्स (860) • **सीट** (33 या अधिक) : साधारण (700) : सेमीडीलक्स (870) : डीलक्स (1025)

बाइक कार पर टैक्स की नई दर : • 1 लाख तक **8%** • 1 लाख से 8 लाख तक : **9%** • 8 लाख से 15 लाख तक **10%** • 15 लाख से अधिक **12%** (कीमत रुपए में)

व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स : • 1000 किलोग्राम (8000 दस साल के लिए) • 1001-3000 किलोग्राम (8000 + प्रति टन 6500 दस साल के लिए) • 3000-10000 किलोग्राम (8000+6500+प्रति टन 750 रुपये) • 10000-24000 किलोग्राम (8000+6500+प्रति टन 700 रुपये) • 24000 किलोग्राम से अधिक (8000+6500+प्रति टन 600 रुपये)

(बिहार गजट : संख्या 2 / कर (संशोधन) - 03/ 2016/ परिपत्र - 5786 दिनांक 7 सितम्बर 2018 चैम्बर में उपलब्ध है) **(विस्तृत : आई नेक्स्ट, 11.9.2018)**

अब पीली व सफेद लाइन के अंदर पार्किंग पर भी जुर्माना

शहर में महत्वपूर्ण सड़कों पर पीली-सफेद लाइन बनी हुई हैं जिनके अंदर अब तक लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते थे। लेकिन अब ट्रैफिक एसपी के नए आदेश के बाद यहाँ पर गड़ियाँ पार्क करना वर्जित होगा। यहाँ पर अगर गाड़ी लगाई तो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर देगी। ट्रैफिक एसपी प्रकाश नाथ मिश्र ने इसको लेकर जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक पूर्व में अगर पीली-सफेद लाइन के पार्किंग एरिया का अगर किसी ने ठेका भी लिया है तो वह निरस्त माना जाएगा। अब शहर की सड़कों का पूरा काला हिस्सा सिर्फ यातायात के परिचालन के लिए होगा। काली सड़क पर न तो गाड़ियाँ पार्क की जाएँगी और न ही किसी तरह की कोई व्यवसायिक गतिविधियां होंगी। अगर सड़क पर कोई ठेला, रिक्शा या कोई दुकान लगाता है तो उसपर कार्रवाई होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.9.2018)

भारी वाहनों के परमिट को अब ऑनलाइन आवेदन

राज्य में अब ट्रक व बस जैसे भारी वाहनों के लिए ऑनलाइन परमिट मिलेगा। परिवाहन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। अक्टूबर से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा।

भारी वाहन मालिक घर बैठे परमिट के लिए आनलाइन अप्लाई करेंगे और परमिट भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अगर आवेदन में कोई त्रुटि हुई तो उसका निष्पादन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकार व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक नियमित रूप से होगी, ताकि ऑनलाइन परमिट मामले का निष्पादन हो सके। जैसे ही करीब 100 आवेदन जमा होंगे राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक होगी और उसमें परमिट मामले का निष्पादन कर दिया जाएगा। अभी भारी वाहनों के लिए मैनुअल आवेदन द्वारा परमिट मिलता है। मैनुअल आवेदन के निष्पादन में अभी महीनों लग जाते हैं। परमिट नहीं मिलने के कारण बसों का परिचालन बाधित रहता है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम व निजी वाहन मालिकों की दर्जनों बसों की परमिट अभी भी लंबित है। परमिट नहीं मिलने से परिचालन शुरू नहीं हो सका है। खासकर मर्सिडीज व वॉल्वो बसों का परिचालन बाधित है। कई शहरों में वॉल्वो बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.9.2018)

दिनांक 1.10.2018 से 69 अनुसूचित नियोजनों में लागू पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2018 से प्रभावी होगी	01.10.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00=254.00	3.00	257.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00=265.00	3.00	268.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00=322.00	3.00	325.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00=392.00	4.00	396.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00=7286.00	73.00	7359.00 प्रतिमाह

(साभार : बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.9.2018)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296